हर थाली सुरक्षित करना: भारत का खाद्य और पोषण समानता का मिशन

यूपीएससी प्रासंगिकता:

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):** **एनएफएसए** 2013 (NFSA 2013), **पीएमजीकेएवाई** (PMGKAY), **एनएफएसएम** (NFSM), **ओएनओआरसी** (ONORC), **स्मार्ट-पीडीएस** (SMART-PDS), **मेरा राशन**, **खाद्य सुरक्षा**, **पोषण समानता।**
- **जीएस पेपर III:** **खाद्य सुरक्षा**, **कृषि**, **शासन में प्रौद्योगिकी**, **समावेशी विकास।**
- **जीएस पेपर II:** **कल्याणकारी योजनाएं**, **सरकारी नीतियां**, **अधिकार-आधारित ढाँचे।**

खबरों में क्यों?

भारत के खाद्य सुरक्षा ढाँचे में डिजिटल, संरचनात्मक और नीतिगत सुधारों की एक श्रृंखला देखी गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी भूखा न सोए। **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** से लेकर **मेरा राशन 2.0** और **अन्न मित्र** जैसे अभिनव डिजिटल साधनों तक, सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। आगामी **SMART-PDS पहल (दिसंबर 2025 तक लॉन्च होनी है)**, प्रौद्योगिकी-संचालित पारदर्शिता और दक्षता के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के आधुनिकीकरण में अगले मील के पत्थर का प्रतिनिधित्व करती है।

पृष्ठभूमि

खाद्य सुरक्षा क्या है?

खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि हर किसी को, हर समय:

- **भौतिक पहुँच** (भोजन पास में उपलब्ध हो),
- **आर्थिक पहुँच** (वे इसे खरीद सकें),
- **पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन** (केवल कैलोरी नहीं, बल्कि स्वस्थ भोजन),
- उपलब्ध हो, ताकि वे एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सकें।

इसलिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल पर्याप्त भोजन का उत्पादन करना नहीं है, बल्कि इसे **निष्पक्ष रूप से वितरित करना** और **पोषण गुणवत्ता सुनिश्चित करना** भी है।

भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा 1960 के दशक के आपातकालीन राहत कार्यक्रमों से विकसित होकर, **एनएफएसए (NFSA), 2013** के तहत एक कानूनी रूप से लागू अधिकार बन गई है। यह अधिनियम लगभग **81 करोड़ लाभार्थियों** को कवर करता है, जो **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)** के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

भारत का खाद्य सुरक्षा आर्किटेक्चर दो स्तंभों पर टिका है:

1. **उत्पादन समर्थन: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)** जैसी पहलों के माध्यम से।
2. **वितरण दक्षता: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
9235313184, 9235440806

ये पहल सामूहिक रूप से, **संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार** के एक अभिन्न अंग के रूप में **भोजन के अधिकार** को सुरक्षित करने के संवैधानिक लक्ष्य को साकार करने का लक्ष्य रखती हैं।

खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रमुख योजनाएँ

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

उद्देश्य: चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाजों के उत्पादन को, टिकाऊ तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में सुधार को बढ़ावा देकर, बढ़ाना।

मुख्य विशेषताएँ:

- मिट्टी के स्वास्थ्य, सिंचाई और प्रौद्योगिकी के प्रसार पर ध्यान केंद्रित करना।
- पूरे भारत के 638 जिलों को कवर करना।
- आहार विविधता में सुधार के लिए दलहन और मोटे अनाजों पर विशेष ज़ोर।
- अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (2023) पहल के अनुरूप **पोषक-अनाज (मिलेट्स)** को बढ़ावा देना।

प्रभाव: एनएफएसएम ने भारत के खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार किया है, जिससे देश खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है और केंद्रीय पूल के तहत अतिरिक्त बफर स्टॉक बनाए रखने में सहायता मिली है।

2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

उद्देश्य: COVID-19 महामारी जैसे संकटों के दौरान एनएफएसए के तहत पात्र लाभार्थियों को **मुफ्त खाद्यान्न** प्रदान करना, जिससे व्यवधानों के दौरान शून्य भूख सुनिश्चित हो सके।

मुख्य विशेषताएँ:

- प्रत्येक एनएफएसए लाभार्थी को प्रति माह **5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न** प्राप्त होता है।
- कई बार बढ़ाया गया, जो कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- वर्तमान में एनएफएसए हकदारी के साथ विलय कर दिया गया है, जिससे लाभों की सार्वभौमिक निरंतरता सुनिश्चित होती है।

परिणाम: 81 करोड़ से अधिक लाभार्थी कवर किए गए हैं, जो समावेशी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

Result Mitra रिजल्ट का साथी
ltmitra.com 9235313184, 9235440806

3. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN)

उद्देश्य: मिड-डे मील योजना (MDMS) को PM POSHAN के रूप में नया रूप देकर स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच **पोषण पर्याप्तता** सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएँ:

- सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को **गरम पका हुआ भोजन** प्रदान करता है।
- स्थानीय खरीद, रसोई बगीचों और पोषण शिक्षा पर ज़ोर देता है।
- पारदर्शिता के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा और सामुदायिक भागीदारी तंत्रों को एकीकृत करता है।

प्रासंगिकता: यह एसडीजी 2 (जीरो हंगर) और एसडीजी 4 (गुणवत्ता शिक्षा) के तहत बाल कुपोषण और सीखने के परिणामों को संबोधित करता है।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

एनएफएसए कवरेज:

- रियायती अनाज (चावल @ Rs. 3/किलो, गेहूं @ Rs. 2/किलो, मोटा अनाज @ Rs.1/किलो) सुनिश्चित करता है।
- ग्रामीण आबादी के **75%** और शहरी आबादी के **50%** को कवर करता है।
- **अंत्योदय अन्न योजना** (AAY) और **प्राथमिकता वाले परिवार** (PHH) के माध्यम से कानूनी हकदारी।

IAS-PCS Institute

एनएफएसए के तहत लाभार्थी

1. **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार**
   - **पहचान:** केंद्र सरकार के मानदंडों के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा चयनित — सबसे गरीब परिवारों को कवर करता है।
   - **पात्र श्रेणियाँ:**
     - विधवाओं, गंभीर रूप से बीमार, विकलांग, या बुजुर्गों (60+) के मुखिया वाले परिवार जिनके पास निर्वाह का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।
     - सभी आदिम जनजातीय परिवार।
     - भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक।
     - एचआईवी-पॉजिटिव व्यक्तियों के सभी पात्र बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार।
2. **प्राथमिकता वाले परिवार (PHH)**
   - **पहचान:** स्थानीय गरीबी मानदंडों और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का उपयोग करके राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 92

पीडीएस में पारदर्शिता और दक्षता के लिए सुधार

1. **पीडीएस डेटा का डिजिटलीकरण**
   - सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में राशन कार्ड और लाभार्थी डेटाबेस का **100% डिजिटलीकरण**।
   - डुप्लीकेशन, रिसाव और फ़र्ज़ी लाभार्थियों को कम करता है।

2. **पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र**
   - एक राष्ट्रीय पारदर्शिता पोर्टल का निर्माण।
   - सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली और टोल-फ्री हेल्पलाइन (1967/1800 श्रृंखला)।
   - भ्रष्टाचार या गबन से संबंधित शिकायतों की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनिवार्य रूप से जाँच की जाती है।

3. **ऑनलाइन आवंटन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन**
    - चंडीगढ़, पुडुचेरी और शहरी दादरा व नगर हवेली (जो डीबीटी (DBT) प्रणालियों का पालन करते हैं) को छोड़कर पूरे भारत में लागू।
    - 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कम्प्यूटरीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अनाज की आवाजाही की **पता लगाने की क्षमता और जवाबदेही** सुनिश्चित करता है।

4. **आधार सीडिंग**
    - राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों का **99.9% आधार लिंकेज**, प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण को बढ़ावा देता है और धोखाधड़ी को कम करता है।

5. **उचित मूल्य दुकानों (FPS) का स्वचालन**
    - लगभग सभी एफपीएस (FPS) **ईपीओएस (ePoS) उपकरणों** से लैस हैं।
    - बायोमेट्रिक/आधार-आधारित प्रमाणीकरण और वास्तविक समय इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को सक्षम बनाता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और हेरफेर को कम करता है।

6. **वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC)**
    - पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा लाभों की **पोर्टेबिलिटी** सुनिश्चित करता है।
    - प्रवासी श्रमिकों और परिवारों को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की अनुमति देता है, गतिशीलता के माध्यम से समावेशन को मजबूत करता है।

पीडीएस में डिजिटल नवाचार

1. मेरा राशन 2.0 ऐप (अगस्त 2024 में लॉन्च)

उद्देश्य: एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत लाभार्थियों को उनकी हकदारी डेटा तक वास्तविक समय पहुँच प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएँ:
- हकदारी, निकासी विवरण और निकटतम उचित मूल्य दुकान (FPS) प्रदर्शित करता है।
- 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड मजबूत उपयोगकर्ता अपनाने का संकेत देते हैं।
- लाभार्थियों के लिए पारदर्शिता और पहुँच में आसानी बढ़ाता है।

2. अन्न मित्र ऐप

उद्देश्य: क्षेत्र-स्तरीय पीडीएस अधिकारियों और उचित मूल्य दुकान (FPS) डीलरों को वास्तविक समय की निगरानी के लिए परिचालन और स्टॉक डेटा के साथ सशक्त बनाना।

मुख्य विशेषताएँ:
- स्टॉक प्रबंधन, निरीक्षण मॉड्यूल, लाभार्थी सारांश और अनुपालन रिपोर्टिंग को ट्रैक करता है।

- वास्तविक समय के विश्लेषण के आधार पर काग़ज़ रहित क्षेत्र संचालन और निर्णय लेने को सक्षम बनाता है।
- 15 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (जैसे असम, मिजोरम, गोवा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, आदि) में परिचालन में है।
- अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है, जिसका राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध विस्तार प्रस्तावित है।

प्रभाव: प्रशासनिक समन्वय को सुव्यवस्थित करता है और खाद्य वितरण आपूर्ति श्रृंखला में अक्षमताओं पर अंकुश लगाता है।

IAS-PCS Institute

3. SMART-PDS पहल (दिसंबर 2025 तक लॉन्च होनी है)

पूर्ण रूप: Scheme for Modernisation and Reforms through Technology in PDS (पीडीएस में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार की योजना)।

उद्देश्य: दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एकीकृत मॉड्यूल के माध्यम से खाद्य वितरण प्रणाली की **डिजिटल रीढ़** को मजबूत करना।

चार प्रमुख मॉड्यूल:

1. **खाद्यान्न खरीद** – खरीद और भंडारण की वास्तविक समय निगरानी।
2. **आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और आवंटन** – एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रैकिंग।
3. **राशन कार्ड और उचित मूल्य दुकान प्रबंधन** – मानकीकृत डेटाबेस एकीकरण।
4. **बायोमेट्रिक-आधारित अनाज वितरण (ई-केवाईसी)** – अंतिम-मील पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

अपेक्षित परिणाम: एक सहज, डेटा-संचालित इकोसिस्टम जो खरीद, लॉजिस्टिक्स, प्रमाणीकरण और वितरण को एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच में एकीकृत करता है।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी

खाद्य और पोषण समानता प्राप्त करने में चुनौतियाँ

- **रिसाव और हेरफेर:** डिजिटलीकरण के बावजूद, स्थानीय स्तरों पर अनाज का कुछ हेरफेर बना रहता है।
- **समावेश-बहिष्कार त्रुटियाँ:** वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने में अशुद्धियाँ।
- **भंडारण और बर्बादी के मुद्दे:** अपर्याप्त वेयरहाउसिंग और कटाई के बाद के नुकसान।
- **पोषण असंतुलन:** अनाज पर अत्यधिक ज़ोर जबकि प्रोटीन, फल और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपेक्षा।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** राज्यों में पीडीएस कवरेज और पहुँच में भिन्नताएँ।
- **तकनीकी बाधाएँ:** दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के मुद्दे ईपीओएस (ePoS) और बायोमेट्रिक सत्यापन में बाधा डालते हैं।

आगे की राह (Way Forward)

पोषण सुरक्षा को मजबूत करना:

- पीडीएस टोकरी में **दलहन, मिलेट्स और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों** को एकीकृत करना।
- पोषण-संवेदनशील कृषि लिंकेज के साथ पीएम पोषन (PM POSHAN) का विस्तार करना।

डिजिटल समावेशन को गहरा करना:

- पीडीएस ऐप्स के लिए **सार्वभौमिक स्मार्टफोन पहुँच** सुनिश्चित करना।
- स्थानीय आबादी के लिए **स्थानीय भाषा समर्थन** शुरू करना।

स्थानीय खरीद और भंडारण को बढ़ाना:

- डीसीपी (विकेंद्रीकृत खरीद योजना) के तहत वेयरहाउसिंग बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना।
- स्थानीय अनाज सोर्सिंग के लिए **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)** को बढ़ावा देना।

IAS-PCS Institute

नीति तालमेल:

- एनएफएसएम, एनएफएसए, और पीएमजीकेएवाई के उद्देश्यों को **एसडीजी 2 (जीरो हंगर)** और **एसडीजी 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन)** के साथ संरेखित करना।

सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक समाज की भागीदारी:

- स्वतंत्र निगरानी और शिकायत निवारण के लिए स्थानीय पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को सशक्त बनाना।

निष्कर्ष

भारत का खाद्य सुरक्षा ढाँचा—जो **एनएफएसए (2013)** में निहित है और **एनएफएसएम, पीएमजीकेएवाई, पीएम पोषण, और स्मार्ट-पीडीएस** के माध्यम से मजबूत हुआ है—खाद्य और पोषण समानता सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। डिजिटल सुधारों, कुशल लक्ष्यीकरण और पोषण विविधीकरण को एकीकृत करके, भारत का लक्ष्य न केवल भूख को समाप्त करना है, बल्कि हर नागरिक के लिए भोजन तक **गरिमापूर्ण और न्यायसंगत पहुँच** को सुरक्षित करना भी है।
जैसे-जैसे राष्ट्र खाद्य आत्मनिर्भरता से पोषण पर्याप्तता की ओर बढ़ रहा है, **"हर थाली सुरक्षित करना"** का दृष्टिकोण **सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास** की भावना को समाहित करता है—यह सुनिश्चित करता है कि समृद्धि और जीविका हर घर और हर दिल तक पहुँचे।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन से मॉड्यूल **SMART-PDS पहल** का हिस्सा हैं?

1. खाद्यान्न खरीद (Food grains procurement)
2. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (Supply chain management)
3. राशन कार्ड और एफपीएस प्रबंधन (Ration card and FPS management)
4. बायोमेट्रिक-आधारित अनाज वितरण (Biometric-based grain distribution)

विकल्प:

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2, 3 और 4
(d) केवल 1 और 4

उत्तर: (c) 1, 2, 3 और 4

स्पष्टीकरण: SMART-PDS पहल का उद्देश्य **पीडीएस का डिजिटल आधुनिकीकरण** करना है। इसके अंतर्गत चारों मॉड्यूल शामिल हैं:

- खाद्यान्न खरीद – खरीद और भंडारण की वास्तविक समय निगरानी
- आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और आवंटन – एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रैकिंग
- राशन कार्ड और उचित मूल्य दुकान (FPS) प्रबंधन – मानकीकृत डेटाबेस एकीकरण
- बायोमेट्रिक-आधारित अनाज वितरण (ई-केवाईसी) – अंतिम-मील पारदर्शिता सुनिश्चित करना

प्रश्न 2: अभिकथन (A): वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना एनएफएसए लाभार्थियों के लिए पोर्टेबिलिटी और समावेशन को बढ़ाती है।
कारण (R): यह राशन कार्ड को आधार से जोड़ता है और राज्य पीडीएस डेटाबेस को एकीकृत करता है।
विकल्प:
(a) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(b) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
(d) A असत्य है, लेकिन R सत्य है।
उत्तर: (a) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
स्पष्टीकरण:

- **A सही है:** ONORC योजना लाभार्थियों को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा देती है, जिससे **पोर्टेबिलिटी और समावेशन** सुनिश्चित होता है।
- **R सही है और A का स्पष्टीकरण है:** यह योजना राशन कार्ड को **आधार से लिंक** करती है और **राज्य पीडीएस डेटाबेस को एकीकृत** करती है, जिससे पोर्टेबिलिटी और लाभार्थी समावेशन संभव होता है।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न."राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण को बदल दिया है। NFSA की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए और संवेदनशील आबादी पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए।" (150 शब्द, 10 अंक)